राजस्व लोक अदालतअभियान
न्यायआपकेद्वार–2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खौड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
97/2001/वाद पत्र	04.06.2001	31.05.2017

उनवान

मु0 चन्द्रावत जी जतनकंवर बेवा विजयसिंह राजपूत निवासी पालसा तहसील शाहपुरा (मृतक)

– वादिया

श्री चावण्डसिंह उर्फ ज्वालासिंह पिता विजयसिंह राजपूत निवासी पालसा

बनाम

1– विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शाहपुरा
2– सरपंच, ग्राम पंचायत गिरड़िया

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0ए0

उपस्थित :– 1. श्री त्रिलोक चन्द नोलखा : अधिवक्ता वादी

निर्णय

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है ग्राम पालसा प0ह0 लूंलास तहसील शाहपुरा मे वादी के खातेदारी अधिकार की आ0न0 394 रकबा 2.11 है0, 395 रकबा 1.88 है0, 396 रकबा 0.12 है0 व 396/416 रकबा 0.38 है0 कुल किता 4 रकबा 4.49 है0 स्थित है जो वादी के उपयोग उपभोग मे वर्षो से चली आ रही है। प्रतिवादी नं0 1 द्वारा अकाल राहत कार्य के तहत मस्टररोल प्रतिवादी संख्या 2 को जारी किये, उक्त मस्टररोल ग्राम नृसिंहपुरा के चरागाह मे व नृसिंहपुरा की सीमा मे एनिकट बनाने हेतु प्रतिवादी संख्या 2 को जारी किये गये। जिसके तहत प्रतिवादी नं0 2 ने करीब 16–17 दिन पूर्व काम शुरू किया। प्रतिवादी नं0 2 ने जब एनिकट का कार्य शुरू किया जो एनिकट की पाल वादी के खातेदारी अधिकार की पेरा 1 मे वर्णित आराजीयात के बदिशा पूर्व मे बिना अधिकार के लगाना शुरू कर दिया व उक्त पाल बनाने हेतु मिट्टी भी वादी की आराजीयात मे चौकड़िया लगाकर ली जा रही है जिसका भी प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कानूनी अधिकार नही है। प्रतिवादीगण के उक्त अवैधानिक कार्य एवं गैरकानूनी कृत्य से वादी की करीब 5 बीघा आराजी बिल्कुल बेकार होकर किसी काम की नही रही है। वादी को 20,000/– का आर्थिक नुकसान हुआ। अतः वादी के पक्ष मे प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस अमर की जारी की जावे कि प्रतिवादीगण वादपत्र के पेरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात मे किसी प्रकार की डोल नही लगावे एवं न वादी की आराजीयात मे किसी प्रकार के खड्डे ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, नोकरो या ऐजेन्टो से खुदवावे। वादी को प्रतिवादीगणों से उक्त अवैधानिक एवं गैरकानूनी कृत्य से हुये नुकसान के रूप मे 20,000/– रूपये दिलवाये जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 08.06.2001 को प्रतिवादी नं0 1 बावजूद सम्मन तामील उपस्थित नही होने एक तरफा कार्यवाही की गई। दिनांक 16.06.2001 को प्रतिवादी नं0 2 की ओर से अभिभाषक श्री दिनेश व्यास ने अपना अधिकार पत्र पेश किया। दिनांक 22.07.2002 तक प्रतिवादी नं0 2 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत नही करने से उनका जवाबदावा बन्द किया जाकर प्रकरण साक्ष्य वादी के नियत किया गया। दिनांक 16.09.2002 को अभिभाषक प्रतिवादी नं0 2 द्वारा दो तरफा कार्यवाही कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया। दिनांक 11.11.2002 को उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। दिनांक 03.02.2003 को जवाबदावा पेश किया गया। दिनांक 14.01.2004 को प्रकरण मे निम्न तनकीयात कायम की गई :–

1. आया ग्राम पालसा तहसील शाहपुरा मे स्थित आराजीयात किता 4 रकबा 4.49 है0 वादिया के कब्जे काश्त की होकर उपयोग उपभोग मे चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या 2 ने वादिया के खातेदारी अधिकार की आराजीयात के पूर्व दिशा मे एनिकट का कार्य शुरू कर पूर्व दिशा मे पाल लगाना व मिट्टी वादिया की आराजीयात से चौकड़िया लगाकर ली जा रही है जिससे वादिया स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्व प्राप्त करने की अधिकारी है ?

   –– जिम्मे वादिया

2. आया वादिया नुकसान के रूप मे प्रतिवादीगणों से 20,000/– रूपये प्राप्त करने की अधिकारी है ? –– जिम्मे वादिया
3. आया वादिया ने राजनैतिक द्वेषतावश यह दावा प्रस्तुत किया जो बिना वादहेतुक होने से पोषनीय नही होकर काबिल खारिज किये जाने योग्य है ? –– जिम्मे प्रतिवादी नं0 2
4. दादरसी ।

दिनांक 18.01.2006 को साक्ष्य मे रूप मे शपथ पत्र चावण्डसिंह उर्फ ज्वालासिंह पिता विजयसिंह राजपूत निवासी पालसा का पेश किया गया जो पी0डब्ल्यू0 – 1 है। दिनांक 22.02.2006 को कल्याण पिता नारायण दरोगा का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप मे पेश किया गया जो पी0डब्ल्यू0 – 2 है। दिनांक 20.11.2006 को वादिया की मृत्यु हो जाने से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 जा0दी0 मय वसीयतनामा की प्रति प्रस्तुत की गई। जिसकी नकल अभिभाषक प्रतिवादी को दी जाकर प्रकरण जवाब/बहस कायम मुकाम के नियत किया गया। दिनांक 17.09.2007 को जवाब बन्द किया जाकर प्रकरण बहस कायम मुकाम के नियत किया गया। दिनांक 04.08.2011 को प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संशोधन उनवान के आदेश दिये गये। दिनांक 11.11.2011 को अभिभाषक वादी द्वारा संशोधन उनवान पेश किया गया। दिनांक 29.02.2016 को वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान कराये जाने हेतु उभयपक्ष द्वारा सहमति प्रकट की गई। जिससे नायब तहसीलदार ढ़ीकोला को मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति मे वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान करा रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये गये। दिनांक 29.03.2016 को सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश की गई। दिनांक 23.08.2016 को रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पक्षकारान

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

...2पर

को मौके वक्त सीमाज्ञान उपस्थित होने हेतु सूचित नही किये जाने से पुनः तहसीलदार शाहपुरा को पालना हेतु लिखा गया। प्रकरण दिनांक 31.05.2017 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार– 2017 केम्प अटल सेवा केन्द्र लूंलास पर सुनवाई हेतु पक्षकारान की तलबी की जाकर रखा गया। दिनांक 31.05.2017 को वादी उपस्थित प्रतिवादी नं0 2 अनुपस्थित। वादी को सुना गया। वादी ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों एवं राजस्व रेकार्ड अनुसार वाद पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रकरण एवं राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 रा0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि बाके ग्राम पालसा प0ह0 लूंलास तहसील शाहपुरा की आ0न0 394 रकबा 2.11 है0, 395 रकबा 1.88 है0, 396 रकबा 0.12 है0 व 396/416 रकबा 0.38 है0 कुल किता 4 रकबा 4.49 है0 जो वादिया चन्द्रावतजी जतनकंवर जी सा0 देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है। जिनकी मृत्यु हो जाने से उनके स्थान पर कायम मुकाम चावण्डसिंह उर्फ ज्वालासिंह बने है। जरिये वसीयत पत्र पेश किया गया है। उसमे प्रतिवादीगण किसी प्रकार की डोल नही लगावे एवं न वादी की आराजीयात मे किसी प्रकार के खड्डे ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, नोकरो या ऐजेन्टो से खुदवावे। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 31.05.2017 को केम्प अटल सेवा केन्द्र लूंलास मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(के0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाड़ा)

राजस्व लोक अदालतअभियान
न्यायआपकेद्वार-2017

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

बईजलास श्री के0 आर0 खौड, आर0ए0एस0

मु0 चन्द्रावत जी जतनकंवर बेवा विजयसिंह राजपूत निवासी पालसा तहसील शाहपुरा (मृतक)

– वादिया

श्री चावण्डसिंह उर्फ ज्वालासिंह पिता विजयसिंह राजपूत निवासी पालसा

बनाम

1– विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शाहपुरा
2– सरपंच, ग्राम पंचायत गिरड़िया

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0ए0
मुकदमा नम्बर 97/2001 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ......X........ मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

वाके ग्राम पालसा प0ह0 लूंलास तहसील शाहपुरा की आ0न0 394 रकबा 2.11 है0, 395 रकबा 1.88 है0, 396 रकबा 0.12 है0 व 396/416 रकबा 0.38 है0 कुल किता 4 रकबा 4.49 है0 जो वादिया चन्द्रावतजी जतनकंवर जी सा0 देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है। जिनकी मृत्यु हो जाने से उनके स्थान पर कायम मुकाम चावण्डसिंह उर्फ ज्वालासिंह बने है। जरिये वसीयत पत्र पेश किया गया है। उसमे प्रतिवादीगण किसी प्रकार की डोल नही लगावे एवं न वादी की आराजीयात मे किसी प्रकार के खड्डे ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, नोकरो या ऐजेन्टो से खुदवावे।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें मे सूद शहर फीसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज **तारीख 31 माह 05 सन् 2017** को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाड़ा)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)